FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	[illegible]

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 320 / 2021 GCMS No. 2021/245

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2021	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनॉक 17.09.2021 को वास्ते सुनवाई / उचित आदेशार्थ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
17.9.2021	पत्रावली पेश हुई प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अनुसूचित जाति के है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पट्टा चाहा गया जिसके लिए पूर्व के प्रकरण 372/21, 373/21 दर्ज हो चुके है अतः यह प्रकरण नामंजूर चाहते। अतः प्रार्थीगण द्वारा किया गया है [illegible] प्रेमराम कुमार [illegible] [illegible] चाहिए था। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2021.12.21 17:06:37 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	